

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03.”



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 240-अ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 सितम्बर 2007—भाद्र 20, शक 1929

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-59/सात/2007.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा :—

- (1) धारा 172 के अधीन, नया रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के उप प्रबंधक (भूमि) को उपखण्ड अधिकारी ;
- (2) धारा 248 के अधीन, नया रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के सहायक प्रबंधक (भूमि) को तहसीलदार ;

की शक्तियां प्रदत्त करती है.

उप प्रबंधक (भूमि) एवं सहायक प्रबंधक (भूमि) को प्रदत्त शक्तियां, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 64 के अन्तर्गत नया रायपुर के अधिसूचित क्षेत्र में समस्त भूमि के लिए लागू होंगी.



Raipur, the 11th September 2007

NOTIFICATION

No. F 4-59/Seven/2007.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 24 of Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby confers the powers of :—

- (1) Sub-Division Officer on the Deputy Manager (Land) of Naya Raipur Development Authority, Raipur under section 172.
- (2) Tahsildar on the Assistant Manager (Land) of Naya Raipur Development Authority, Raipur under section 248.

The powers conferred on Deputy Manager (Land) and Assistant Manager (Land) shall be applicable to all land in the notified area of Naya Raipur under section 64 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, अवर सचिव